संख्या: 256/28-1-2011/3-आवंटन/2005

प्रेषक,

आर0एस0 श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग-2, लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2011

विषय : उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य कार्मिकों के पारस्परिक स्थानान्तरण तथा राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर कार्मिकों के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य का सृजन हुआ था और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के मध्य उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 के भाग-8 के प्राविधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कार्मिकों के आवंटन के नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी थीं। उपरोक्त दोनों ही राज्यों के मध्य कार्मिकों के पारस्परिक स्थानान्तरण के बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-14/279/2002-एस0आर0(एस0), दिनांक 15 सितम्बर, 2004 के माध्यम से दिशा-निर्देश सिद्धान्त जारी किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिकों के पारस्परिक स्थानान्तरण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन के पुनर्गठन समन्वय विभाग के शासनादेश संख्या-2335/28-1-2006, दिनांक 06 सितम्बर, 2006 द्वारा निर्धारित की गयी थी। उत्तराखण्ड शासन के राज्य पुनर्गठन विभाग द्वारा भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के अनुरूप प्रक्रिया शासनादेश संख्या-748/XXXVII/04/2001, दिनांक 19 जुलाई, 2007 द्वारा निर्धारित की गयी थी।

2 - ऐसे कार्मिकों, जो अन्तिम आवंटन के पश्चात् उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड अथवा उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश में आने के इच्छुक थे, के अनुरोध पर निर्णय लेने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-14/279/2002-एस0आर0(एस0), दिनांक 08 जून, 2006 के माध्यम से नीति-निर्देशक व्यवस्था दी गयी थी।

3 - रिट् पिटीशन संख्या-79/2008(S/S)/उ0ख0, डा0 एन0डी0 जोशी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड ने दिनांक 26 जुलाई, 2010 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

"The impugned letters/orders issued by the Central Government dated September 15, 2004 and June 08, 2006 are hereby set aside, as the same have been issued in violation of the provisions of the Constitution of India. The aforesaid orders are hereby also set aside because they had been issued beyond the power vested in the Central Government under the provisions of the Reorganisation Act, 2000. The policy decisions dated September 05, 2006 and July 19, 2007 of the successor States of Uttarakhand and Uttar Pradesh, are set aside, as the same were in excess of the power vested in the State executive/administration under the Constitution of India, as also, under the Reorganisation Act, 2000, and also, because they had been issued without the active consensus of the successor States of Uttarakhand and Uttar Pradesh."

4 - उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तर-1 एवं 2 में उल्लिखित सभी शासनादेश माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड ने निरस्थित कर दिये हैं। अतः उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरणों तथा भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 08 जून, 2006 में उल्लिखित व्यवस्था के आधार पर कार्मिकों के प्रश्नित राज्यों को आवंटन में भारत सरकार की भूमिका स्वमेव समाप्त हो गयी है।

5 - अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दोनों राज्यों के मध्य पारस्परिक स्थानान्तरणों के मामलों में सबंधित राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर कार्मिकों के प्रश्नित राज्यों के समायोजन के प्रकरणों में पूर्व विद्यमान नियमों के अन्तर्गत अर्थात दिनांक 09-11-2000 से पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अधीन सभी विभाग स्वयं ही नियमानुसार कार्रवाई करते हुये निर्णय लेने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या : डी0ओ0 (1)/28-1-2011/डी-ओ0सी0/2005, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) उप सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।

(2) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर0एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

10/12/11 12:09 LMC COMPUTER 0532220022 P.01